2012/00185

<u>सोहन सिंह बनाम किशोर कंवर</u>

1-1-26 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किये गये कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशोर कंवर की मृत्यु दिनांक 13–09–2019 को हो चुकी है। अपीलांट द्वारा आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट के वारिसो को रिकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही नही की है जबकि अपीलांट को दिनांक 21–11–2024 द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी दी जा चुकी है। अतः अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 21–11–2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशोर कंवर की मृत्यु की जानकारी हो चुकी है परन्तु वारिसान को रिकॉर्ड पर लाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशोर कंवर प्रकरण में एकमात्र रेस्पोडेन्ट है जिसकी मृत्यु दिनांक 13–09–2019 को हो चुकी है। अपीलांट द्वारा मृत्यु की जानकारी होने के उपरान्त भी निर्धारित अवधि में रेस्पोडेन्ट के वारिसान को पक्षकार बनाने की कार्यवाही नही की गई है। इस सूरत में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील च तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर